

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेडा

बनाम

अप्रार्थी - लिखमठाराम/गीताराम निवासी कालेडा अन्तर्गत धारा 91 भूराज 1956

प्रकरण संख्या 70 / 2018

निर्णय दिनांक 16/10/18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्वत् 2075 में सरहद कालेडा के खसरा नम्बर 99 में किस्म ज.घु. रास्ता मेंसे रकबा 0.03 हेक्ट भूमि में बागरी लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को पत्रावली अजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी लिखमठाराम से नोटिस तामी होने पर सम्मिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपरि उक्त प्रकार अबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षक भूअ द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कालेडा खसरा नम्बर 99 में किस्म ज.घु. रास्ता मेंसे रकबा 0.03 हेक्ट भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्ट की दर से अतिक्रमित रकबा 0.03 हेक्ट भूमि के 0.18 रुपये लगान का 50 गुणा 9/- अक्षरे रुपये बराबर जुर्माना निर्धारित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को नामश मर्तब जायगी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से निरीक्षक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16/10/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर